श्री शाहिद सिद्दिकी : मैं उसी को समझा रहा हूं। सर, उसी को मैं समझा रहा हूं।

شری شاہد صدیقی : میں اسی کو سمجھا رہا ہوں۔ سر، اسی کو میں سمجھا رہا ہوں۔

श्री सभापति: वे बस समझे हुए है।

श्री शाहिद सिद्दिकी : एक स्टेट में ऐसा हो रहा है।

شری شاہد صدیقی : ایک اسٹیٹ میں ایسا ہو رہا ہے۔

श्री सभापति: हां वह ठीक है।

श्री शिवराज वी. पाटिल: श्रीमन् इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और उसके जवाब में मैं यह कहना चाहूंगा कि आज अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग प्रकार से compensation दिया जा सकता है और जैसा कि आप कह रहे है, यह बात दुरुरत है कि अगर उसमें कुछ समानता हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। यह करने के लिए हम जो नया कानून बना रहे है, उसके अंदर बता रहे है कि compensationa कैसा दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, किसकी तरफ से दिया जाएगा। यह जो Communal Disturbances Separation Act के नाम से कानून हम बनाने जा रहे हैं, उसमें जो आपने आइडिया दिया है, उसको हम incorporate करेंगे।

गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आपदा पुनर्वास के लिए धन का दुरुपयोग

*564 **श्रीमती सविता शारदा**:
श्री दत्ता मेघे : ††

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्राकृतिक अथवा मानव जनित आपदाओं के उपरांत राहत और पुनर्वास कार्य के लिए गैर-सरकारी संगठनों द्वारा जुटाये गये धन का दुरुपयोग किये जाने की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है'

(ग) क्या जुटाये गये धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव गावीत): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

† The question was actually asked on the floor of the House by Shri Datta Meghe-

विवरण

(क) से (घ) गृह मंत्रालय को प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदायें आने पर गैर- सरकारी संस्थाओं द्वारा राहत और पुनर्वास कार्य के लिए जुटाए गए धन के दुरुपयोग के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। तथापि, जनता की आम राय यह है कि कुछेक गैर-सरकारी संस्थाऍं या गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) राहत और पुनर्वास के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा जुटाई गई सम्पूर्ण धनराशि खर्च नहीं कर रही है। इन संगठनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लेखों और/या विवरणियों को उन उपयुक्त प्राधिकरणों के पास फाइल करें जहां वे पंजीकृत हैं । विधि आयोग ने इस मामले की विस्तार से जांच की है। भारत सरकार एक विधान अधिनियमित करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है और प्राकृतिक तथा मानवनिर्मित आपदाओं के पीडितो को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के प्रयोजनार्थ धनराशि एकत्र करने और उसके उपयोग को विनियमित करने के लए मार्गदर्शी सिद्वांत भी जारी कर रही है ।

Misappropriation of funds for disaster rehabilitation by private institutions

†*564. SHRIMATI SAVITA SHARDA:

SHRI DATTA MEGHE:††

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have recieved several complaints regarding misappropriation of the funds raised by the private institutions for relief and rehabilitation work after natural or manmade disasters;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have formulated any scheme to check the misappropriation of the collected amount; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MANIKRAO HODLYA GAVIT): A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) The Ministry of Home Affairs have not received specific complaints regarding misappropriation of funds raised by private institutions

† Original notice of the question was received in hindi.

††The question was actually asked on the floor of the House by SHRI DATTA MEGHE.

for relief and rehabilitation work in the event of natural or man made disasters. However, the general impression of the public is that some of the private institutions or the NGO's are not spending the entire money collected by them for the purpose of relief and rehabilitation. These organizations are required to file their accounts and or returns to the appropriate authorities where these are registered. The matter has been examined in details by the Law Commission. The Government of India is considering the feasibility of enacting a legislation and is also issuing guidelines to regulate the collection and utilization of funds raised for the purposes of providing relief and rehabilitation to the victims of natural and man made disasters.

श्री दत्ता मेघे : महोदय , क्या सरकार का ऐसा नियम बनाने का विचार है जिससे कि केवल रजिस्टर्ड संस्थाएं आपात राहत के लिए धन जुटा सकें और इस बारे में monitoring के लिए क्या आप एक रेग्युलेटरी बॉडी बनाएंगे? इसमें धन के बारे में जो भी गड़बडी करते हैं, उसके लिए ऐसी कोई कमेटी बनाने वाले है ।

श्री माणिक राव गावितः श्रीमन् यह प्रश्न काफी अहमियत रखता है और जहां तक मेरी समझ है कि किसी इनडिविजुअल को दूसरे के पास पैसा जमा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता । अगर कोई रजिर्टर्ड सोसाइटी है, तो सिर्फ उसको वह अधिकार दिया जा सकता है, मगर सिर्फ रजिस्टर्ड सोसाइटी होने पर भी नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत भी होना जरूरी है, तभी वह दिया जाता है। इसलिए ये जो बातें यहां पर निकली है, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट और ट्रस्ट एक्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के है, जैसा कि आप महाराष्ट्र से आते हैं और जानते है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है, उसके नीचे यह सारा कुछ बनाया गया है। दूसरे स्टेट में कहां- कहां यह है या नहीं है, इसकी जानकारी लेकर मैं आपको बता दूंगा। मगर इस प्रकार का कानून होना चाहिए। इसकी चर्चा हुई है। लॉ कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट भी आई है कि नेशनल लेवल पर ऐसा कानून बनाकर, उसको पास करें, उस दृष्टि से हमारे प्रयास जारी है ।

श्री दत्ता मेघेः महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आयोग ने जो विस्तार से जांच की है, उस जांच में क्या तथ्य सामने आए है, तथा मार्गदर्शी सिद्वांत कब जारी करेंगे? आपने अपने उत्तर में लिखा है कि हम मार्गदर्शी सिद्वांत जारी करेंगे, वह कब करने वाले है? आपने जो विस्तार से जांच की है, उससे क्या पता चला है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): महोदय, ये जो सूनामी के संबंध में बार-बार प्रश्न उठे हैं, यह जो सूनामी हुई है, इसके लिए जिन्होंने भी पैसा जमा किया होगा, वह कानूनन उनको जमा

करना जरुरी है। हमारे मार्गदर्शक ये है कि पैसा लें तो चैक के द्वारा लें। उसका एकाउंत होना चाहिए और उस एकाउंट में वह जमा कराए। एकाउंट में पैसा जमा होने के बाद, उसका उपयोग भी उसी काम में हो जिस काम के लिए वह पैसा लिया गया है। वह पैसा पूरे अच्छे ढंग से उपयोग में आया है या नहीं आया है, उसको भी देखा जा रहा है। काम करने के बाद अगर कुछ पैसा बच गया है, यदि वह संस्था उस पैसे को रखना चाहे, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, वहां पर वह चेरेटी कमिश्नर की इजाजत से रख सकती है। दूसरी जगह पर जो उनका कानून होगा, उसके तहत वह रख सकते हैं। अगर उस पैसे का कहीं उपयोग करना है, जैसे कहीं पर दो करोड़ रुपए जमा हुए है और एक करोड़ रुपया खर्च हुआ है तो वह बचा हुए एक करोड़ रुपया या तो प्राइम मिनिस्टर के फंड में जाना चाहिए या चीफ मिनिस्टर के फंड में जाना चाहिए। या फिर जिस अथॉरिटी से परमिशन लेकर उसका उपयोग कर सकते है, उस अथॉरिटी से परमिशन लेकर उसका उपयोग करें। ये जो गाइड लाइंस हैं ये जो कुछ पीआईएल वगैरह आई है, उसके अंदर उन्होंने पूछा है कि इसको कैसे करने जा रहे है तो हमने उसमें यह बताया है कि दूसरों को भी उसके बारे में थोड़ा सा पता है। बॉय एंड लॉर्ज ऐजी ही गाइड लाइन्स है ।

SHRI V. NARAYANASAMI: Sir, the hon. Minister, while replying to the question, has narrated the procedure that is followed by the Ministry of Home Affairs to deal with the registered voluntary organizations. There are so many voluntary organizations which are not registered. They have got affiliation and connections with foreign countries. Some of them collected money from abroad in the name of providing relief to the victims of tsunami. They spent a part of that money for the affected people, while rest of the money was kept by them. In our State also some of the organizations received aid from France. They spent a part of the money, while the remaining funds are with them. Even some complaints have also been received by the Ministry of Home Affairs in this regard. The hon. Minister says that he is going to bring a Bill to regulate it. So, I would like to know how he is going to deal with unregistered volunatry organizations.

श्री शिवराज वी. पाटिलः महोदय, ये दो अलग-अलग प्रश्न है । जो पैसा फॉरेन से आया है उसके लिए पहले ही कानून है उस कानून के मुताबिक ही उनको पैसा लेना पड़ता है तथा उसका हिसाब देना पड़ता है, उसके बारे में कार्यवाही हो सकती है। अगर किसी के पास फ्रांस से पैसा आया हे तो उस कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। मगर इंडिया में अलग-अलग स्टेट से अलग-अलग कानून है। मैंने आपको बताया है कि जो महाराष्ट्र का कानून है, वह जो रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत और पब्लिक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत करना पड़ता है। दूसरी स्टेट को

जो अधिकार दिए गए हैं, वे उससे हैं । यह जो मैने आपको बताया है कि कानून लाने की बात है, अपने देश में पैसा जमा होने के संबंध में कानून लाकर कि वह किस प्रकार से हेंडल करना है, उसके संबंध में है। अगर किसी अन-रजिस्टर्ड सोसाइटी ने पैसा जमा किया होगा तो यह देखना पड़ेगा कि उसने उस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया है । अगर उन्होंने प्रोपर्ली उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है तो उनको बताना पड़ेगा, एकाउंट करना पड़ेना कि उन्होंने इस पैसे का क्या किया है? अगर उन्होंने नहीं किया है और कुछ बच गया है तो वह पैसा कहां जाना हैं? वह पैसा उनके पास ही रहना है या चीफ मिनिस्टर के फंड में जाना है या प्राइम मिनिस्टर के फंड में जाना है या वहां पर जो कोई दूसरी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उनके लिए वह पैसा खर्च करना है। ये सारी चीजें देखानी हैं। अब यह सवाल सूनामी के संबंध में उठ रहा है। अपने देश में यह जो आपदा आई, इसमें बहुत लोग सामने आए और पैसा दिया। शायद उन्होंने बहुत पैसा जमा किया है। अब हमें यह देखनाहै कि उस पैसे को किस प्रकार से इस्तेमाल करें।

श्री सभापतिः गृह मंत्री जी, यह बताएं कि विदेशों से ऎसी संस्थाएं जो सहायता लेती है उनके संबंध में आपने कहा है कि नियम भी बने हुए है और कानून भी बने हुए हैं। कानूनों , नियमों के अनुसार उन्हें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है तथा भारत सरकार को इसकी सूचना देनी है। इसका बहुत सी संस्थाओ ने वॉयलेशन किया है। अपने उन संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

श्री शिवराज वी. पाटिलः सभापति जी अगर यह प्रश्न सूनामी के बारे में है **...(व्यवधान)...**

श्री सभापतिः सूनामी का नहीं है ।

श्री शिवराज वी. पाटिलः सारे भारते का है?

श्री सभापतिः सारे भारत का है ।

श्री शिवराज वी. पाटिलः सारे भारत का है तो इसके बारे में लिखित रूप में इन्फोर्मेशन दे दूंगा कि कितनी संस्थाओं ने पैसा लियाहै और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। मैं आंकड़े न देते हुए अभी मोटे तौर पर यह कहूंगा कि कुछ संस्थाएं हमारे ध्यान में आई है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है और कुछ संस्थाओं पर केसिज ओपन किए गए हैं। मगर यह इससे जुड़ा हुआ प्रश्न नही है, इसलिए मैं अलग से इन्फोर्मेशन दे दूंगा।

SHRI NARAYANASAMY: Sir, there should a full discussion on Tsunami disaster. It is pending since the last Session.

*565. [The questioner SHRI LAXMI NARAIN SHARMA was absent for answer vide page 30.].